उत्तर प्रदेश शासन

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ,गृह विभाग
संख्या–61जी0आई0/छः–सानिप्र–2020–200(14)/2019टीसी
लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

अवगत हैं कि सिवील अपील संख्या–10866–10867/2010 मो0 सिद्दीक व अन्य बनाम महंत सुरेश दास व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09 नवम्बर, 2019 द्वारा वाद संख्या–4 के वादी सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ आफ उत्तर प्रदेश को 05 एकड उपयुक्त जमीन मस्जिद तथा उससे संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिये अयोध्या अधिनियम 1993 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि में से या फिर अयोध्या के किसी उचित स्थान पर आवंटन के आदेश दिये गये हैं।

2. मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक–09.11.2019 के अनुपालन में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णय के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–71011/02/2019–एवाई, (अयोध्या प्रभाग), दिनांक–05 फरवरी, 2020 के क्रम में मूल वाद संख्या–4 के वादी सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ आफ उत्तर प्रदेश को अयोध्या में उचित स्थान पर 05 एकड़ उपयुक्त जमीन निम्नवत आवंटित की जाती हैः–

"अयोध्या स्थित लखनऊ–गोरखपुर राजमार्ग पर थाना रौनाही के 200 मीटर पीछे, ग्राम–धन्नीपुर, तहसील–सोहावल, अयोध्या के गाटा संख्या : 100/0.058 हे0, गाटा संख्या : 104/0.027 हे0, गाटा संख्या : 105/0.107 हे0, गाटा संख्या : 110/0.027 हे0 तथा गाटा संख्या : 111/1.037 हे0 कुल 05 किता कुल रकबा 2.023 हे0 भूमि आवंटित की जाती है, जिसका कुल रकबा 05.00 एकड़ है।"

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–61जी0आई0(1)/छः–सानिप्र–2020 एवं तद् दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ उत्तर प्रदेश, द्वारा अध्यक्ष, 03 ए, माल एवेन्यू, लखनऊ।
2. श्री वी0एस0 राना, उप सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नर्द दिल्ली को उनके पत्र संख्या संख्या–71011/02/2019–एवाई, (अयोध्या प्रभाग), दिनांक–05 फरवरी, 2020के क्रम में।
3. श्री एम0पी0 अग्रवाल, आयुक्त, अयोध्या मण्डल।
4. श्री अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी, अयोध्या को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु

आज्ञा से
05/2/20
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्याधिकारी